प्रेस विज्ञप्ति

19.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इम्फाल उप-आंचलिक कार्यालय ने इम्फाल में 5 अलग अलग-जगहों पर सलाई ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध) समरजीत सिंह .अर्थात एन (निदेशकों, एनसिंह बिस्वजीत ., एदीपानंद ., ईटिकेंद्र सिंह के आवासीय परिसरों पर तलाशी .ब्रोजेंद्रो सिंह और टी . अभियान चलाया। पर्याप्त सुरक्षा और सावधानी बरती गई और30 सीआरपीएफ कर्मियों ने शांतिपूर्ण ढंग से तलाशी अभियान चलाने में सहायता की। तलाशी के परिणामस्वरूप तीन)03) कारें अर्थात होंडा एलिवेट, टाटा हैरियर और मारुति बलेनो और 10 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न संपत्ति दस्तावेज, अन्य अपराध संकेती दस्तावेजों के साथ जब्त किए गए। इसके अलावा, 05 मोबाइल फोन जिनमें सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित अपराध संकेती दस्तावेज और डेटा थे, उन्हें भी जब्त किया गया।

इसके अलावा, तलाशी के दौरान दर्ज किए गए उक्त आरोपियों के बयान से पता चला कि उन्होंने बिना किसी कानूनी अधिकार के, जनता से नकद में जमा स्वीकार किए, जो उनके अपने बैंक खातों और सलाई ग्रुप के कंपनियों के बैंक खातों में जमा किए गए थे; कि उनके द्वारा प्राप्त अपराध की आय का उपयोग अचल संपत्ति के अधिग्रहण (पीओसी), उक्त कारों के लिए लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान, व्यक्तिगत खर्चों आदि के लिए किया गया था।

ईडी ने मणिपुर पुलिस द्वारा लाम्फेल पुलिस स्टेशन, जिला इंफाल पश्चिम, मणिपुर में भारतीय दंड संहिता , 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत याम्बेम बीरेन के खिलाफ जिसने स्वऔर नरेन्गबाम समरजीत "मणिपुर राज्य परिषद के मुख्यमंत्री" घोषित-, स्व घोषित-मणिप"ुर राज्य परिषद के विदेश मामलों और रक्षा मंत्री "के रूप में भारत संघ से मणिपुर राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा करके राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने, राजद्रोह, विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने जैसी पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। एनआईए ने एन समरजीत सिंह, वाई बीरेन और अन्य के खिलाफ .भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420 और यूएपीए की धारा 13 और 17 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें खुलासा किया गया कि आरोपियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार या लाइसेंस के 36% वार्षिक रिटर्न का वादा करके सलाई ग्रुप और उसकी सहयोगी स्मार्ट सोसाइटी के माध्यम से धोखाधड़ी से सार्वजनिक धन एकत्र किया। उन्होंने इन निधियों को 19 ग्रुप कंपनियों के माध्यम से शोधन किया और अलगाववादी अभियानों सहित गैरकानूनी गतिविधियों के लिए धन का उपयोग किया।

सीबीआई ने दिनांक 15.03.2023 को सलाई ग्रुप और उसके निदेशकों के खिलाफ भा.द.स, 1860 के तहत अवैध पोंजी स्कीम चलाने के लिए एफआईआर नंबर RC2192023E0004 भी दर्ज की। सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र से पता चला कि उक्त ग्रुप कंपनियों ने बिना किसी कानूनी अधिकार के मेसर्स स्मार्ट सोसाइटी के नाम पर जनता से धोखाधड़ी से भारी मात्रा में नकदी एकत्र की और कई कंपनियां/संस्थाएं बनाईं। इस प्रकार, आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रचकर आम जनता से अवैध रूप से भारी मात्रा में नकदी एकत्र करके और अवैध/धोखाधड़ी से एकत्र की गई 46,43,65,345/- रुपये की नकदी को विभिन्न बैंक खातों में जमा करके आम जनता को धोखा दिया।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पाया गया कि अभियुक्तों ने सक्षम प्राधिकारी से कोई कानूनी अधिकार/लाइसेंस प्राप्त किए बिना, आम जनता से 3% प्रति माह ब्याज दर के वादे पर 57.36 करोड़ रुपये नकद जमा किए। इस प्रकार एकत्रित धन को उक्त अभियुक्तों द्वारा अपने स्वयं के बैंक खातों और सलाई ग्रुप के कंपनियों के खातों में जमा किया गया था। इसलिए, उक्त अभियुक्तों द्वारा एकत्रित की गई 57.36 करोड़ रुपये की राशि अपराध की आय (पीओसी) है, जो उन्हें अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त हुई है। उक्त पीओसी को उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा सलाई ग्रुप की विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों और अभियुक्तों के खातों में अपने नाम पर, समूह कंपनियों के नाम पर संपत्तियां प्राप्त करने, गृह ऋण, वाहन ऋण और सावधि ऋण आदि के पुनर्भुगतान के लिए स्थानांतरित किया गया था। इसका उपयोग भारत सरकार के खिलाफ राजद्रोह छेड़ने और विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, शत्रुता और घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके अलावा, जांच के दौरान, कुल 2.42 करोड़ रुपये की पीओसी को कुर्क किया गया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। 29.04.2024 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल पूर्व के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई है।

आगे की जांच के दौरान पता चला कि अपराध जनित आय (पीओसी) का इस्तेमाल मशीनरी और संयंत्रों को हासिल करने, लगभग 17.5 करोड़ रुपये का विदेशी प्रेषण भेजने, 2.5 करोड़ रुपये के क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने और एच.डी.एफ.सी. बैंक, इम्फाल शाखा, इम्फाल से अपने नाम पर लिए गए 3.14 करोड़ रुपये के वाहन ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए भी किया गया था।

आगे की जांच जारी है।

